न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57 GCMS:- 2020/000069 **दायर दिनांक : 02.07.2020**

किशनाराम पुत्र श्री कालूराम जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र श्री कालूराम जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी सं. 1
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 21/07/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के नाम तहसील सूरतगढ़ के ग्राम कानौर में खाता सं. 16/143 जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 2073 के ख.न. 461/117 में 10.373 है. बारानी खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से साबित है। इसके अलावा इसी ग्राम कानौर के खाता सं. 124/52 जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 2073 संयुक्त खाता में ख.न. 97/10.968 है. व 343/97 में 1.682 है. ख.न. 363/99 में 4.480 है. इस प्रकार कुल 16.668 है. बारानी खातेदारी भूमि कालूराम के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज कागजात है। जिसमें कालुराम की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसान सोमा देवी, कृष्णलाल, माया देवी, सिलोचना देवी, पानी देवी, तुलछी देवी, दलीप पुत्र/पुत्रियॉ कालूराम के नाम से बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा दर्ज हुई उसके उपरान्त जरिये दस्तबरदारी बहिनों द्वारा हकत्याग माया देवी वगै. द्वारा कृष्णलाल, दलीप पिसरान कालूराम के पक्ष में दस्तबरदार हो गई व अपना हिस्सा त्याग दिया जिसका इन्तकाल नम्बर 571 दिनांक 05.07.2019 दर्ज कागजात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता सं. 124 के विशेष कॉलम में अंकित है। कालूराम के नाम से अंकित भूमि 1/4 हिस्सा कृष्णलाल, दलीप पुत्र श्री कालुराम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो चुका है। बरवक्त इन्तकाल किशनाराम पुत्र श्री कालूराम के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम दर्ज कर दिया गया।

लगातार पेज 2 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

जबकि सामान्य बोलचाल में किशनाराम के साथ–साथ कृष्णलाल भी पुकारा जाता है। वादी द्वारा वाद पत्र में यह भी निवेदन किया कि आधार कार्ड सं. 4425–1309–1819 में किशनाराम पुत्र श्री कालूराम व भामाशाह कार्ड सं. VSSBTPX में व राशन कार्ड ग्राम भोजेवाला में भी वादी का नाम किशनाराम अंकित है, सरपंच ग्राम पंचायत भोजेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2019 में भी यह उल्लेख किया है कि किश्नाराम हमारे गांव का रहने वाला है जिसे कृष्णलाल व किश्नाराम दोनों नामों से पुकारा जाता है जबकि कृष्णलाल व किश्नाराम एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नाम दुरूस्त करने की अनुशंसा भी की गई है, उक्त तमाम दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह उक्त भूमि की बाबत के.सी.सी. बनवाने हेतू बैंक गया तो उन्होनें रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात बताया कि पहले रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाओ उक्त त्रुटि को सुधारने के लिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष फरवारी माह में गया तो उन्होनें भी कहा कि हम सुधार नहीं कर सकते सक्षम न्यायालय में चाराजोई करो वा आदेश हमें लाकर दो तो कोई कार्यवाही हम कर सकते है इस पर धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 10.03.2020 को दिया गया व दिनांक 12.03.2020 को दो माह की अवधि व्यतीत होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. के साथ संलग्न कर दिनांक 16.03.2020 को वाद पत्र प्रस्तुत किया है वा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम के स्थान पर किशनाराम उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम अंकित करने के आदेश फरमावें ताकि प्रार्थी को के.सी.सी. बनाने मुख्यमंत्री योजना प्रधान मंत्री कोष से मिलने वाला अनुदान में दिक्कत आ रही है व बाधा दूर होकर प्रार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया नोटिस तामील होने के पश्चात व व्यक्तिगत तामील होने के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुये वा ना ही जवाबदावा पेश किया, दिनांक 08.09.2020 को वादी किशनाराम के वृद्धावस्था में होने के कारण व हृदय की बीमारी तथा डाक्टरी परामर्श के अनुसार घर पर ही रहने व कोरोना महामारी का प्रकोप के डर घर पर ही रहने की सलाह दिये जाने के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो सका व उसके पुत्र राकेश कुमार द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिस्ल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 दलीप पुत्र श्री कालूराम द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार किया व नाम दुरूस्त करने की अनुषंसा की गई।

लगातार पेज 3 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

वादी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पर अवलोकन करने पर जोर दिया वा निवेदन किया की वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता वादी का प्रथम दृष्टया मामला रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित है कि वादी का नाम किशनाराम पुत्र श्री कालूराम सुथार दर्ज होना चाहिये किसी कारणवश यह त्रुटि हो गयी है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है, यह हो सकता है कि किशनाराम उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम दर्ज कर दिया जाये तो भी वादी के हित सुरक्षित हो जायेंगें इससे किसी भी पक्षकार/सरकार को भी कोई नुकसान होने की गुंजाईश नहीं है वादी एक काश्तकार होने के कारण उसे मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जायेगा अलग नाम होने से रिकॉर्ड में अनावश्यक परेशानी से भी बच सकेगा।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वा नायब तहसीलदार राज पैरोकार सूरतगढ़ की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली वा तमाम दस्तावेजात् का भी गहनता से अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा उठाये गये वाद बिन्दुओं वा दस्तावेज का मिलान करने पर पाया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम अंकित है जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है ऐसे तथ्यों का जैसे ही तहसीलदार के संज्ञान में आये तो वह अपने स्तर पर भी दुरूस्त करने की कोशिश करनी चाहिये अन्यथा इस न्यायालय को प्रेषित किये जाने पर तुरंत समाधान हो सकता है वा काश्तकार वर्ग को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। उक्त तमाम तथ्यों वा दस्तावेजात् का अवलोकन करने के पश्चात इस निश्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वाद वादी स्वीकार करते हुये वाके ग्राम कानौर जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 124/52 के खाना सं. 4 में वादी किशनाराम उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम सुथार नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो, हुक्म मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

किशनाराम पुत्र श्री कालूराम जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र श्री कालूराम जाति सुथार निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.ए. मुकदमा न. 57 वर्ष 2020 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कानौर का जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 124/52 के खाना सं. 4 में किशनाराम उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री कालूराम सुथार नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21/09/20 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested